



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I —खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 22] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2019/कार्तिक 28, 1941

 No. 22] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2019/KARTIKA 28, 1941

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2019

सं. एफ. एसडी-17/123/2019-एसए/एमएसडीई.—राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015 के अनुच्छेद 4.1.3 और 4.9.6 के अधीन निर्देश तथा उत्कृष्टता केंद्र की, नए सिरे से अथवा कौशल विश्वविद्यालय प्रणाली के भाग के तौर पर, स्थापना संबंधी 09 अगस्त, 2019 की अधिसूचना के तहत तैयार दिशा-निर्देश के अनुसरण में ओडिशा सरकार द्वारा अपने असाधारण राजपत्र संख्या 1383 दिनांक 30 अगस्त, 2017 में एक कौशल विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित सेंचुरियन प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय (सीयूटीएम), ओडिशा के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण स्कूल (एसओवीईटी) को इस अधिसूचना जारी करने की तिथि से देश के कौशलीकरण पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस मान्यता की आरंभिक वैधता यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी।

2. एसओवीईटी स्वयं के अथवा सहबद्धों एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से अभ्यर्थियों के कौशलीकरण के अलावा इस संबंध में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पारिपाटियों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए व्यापक अनुसंधान करेगा।

सुनिता संघी, वरिष्ठ सलाहकार

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th November, 2019

No. F. SD-17/123/2019-SA/MSDE.—In pursuance of the directives under para 4.1.3 and 4.9.6 of the National Policy on Skill Development and Entrepreneurship 2015 and the guidelines framed there under vide Notification dated 9th August 2019 regarding setting up Centre of Excellence either as de-novo or as part of Skill University system, the **School of Vocational Education and Training (SoVET) under the Centurion University of Technology & Management, (CUTM) Odisha**, a Skill University as notified by the Government of Odisha in its Gazette Extraordinary No. 1383 dated 30th August 2017, has been recognised as a **Centre of Excellence** in the field of Skilling Ecosystem in the country from the date of issue of this Notification. Initial validity of this recognition shall be for a period of five years from the date of issue of this Notification.

2. SoVET shall, apart from skilling candidates on its own or through affiliates and training of trainers, shall conduct extensive research to enhance the quality and delivery of skill training in accordance with the best international practices in this regard.

SUNITA SANGHI, Senior Adviser